न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : महीपाल सिंह आर0ए0एस0

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा... संख्या : 79 / 2020 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. शंकरलाल पुत्र श्री चतुर्भुज रेबारी निवासी बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
2. सुवालाल पुत्र श्री पन्ना रेबारी निवासी बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

--प्रार्थी गण

बनाम

1. हीरा गाडरी पुत्र श्री कजोड गाडरी निवासी बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. कल्याण गाडरी पुत्र श्री कजोड गाडरी निवासी बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

------------अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री इकबाल मोहम्मद छीपा (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 21-01-21

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251-(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 12.06.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया ।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा बरण पटवार मण्डल बरण तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 1028 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा , 1029 रकबा 02 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी-पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 1039 , 974 के मेर के सहारे-सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2021 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

दिनांक 15.01.2021 को प्रकरण में हल्का पटवारी बरण द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्शा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस, एंव जमाबन्दी शामिल मिसल किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

अप्रार्थी संख्या 01 से 02 बाद तामिल अनुउपस्थित जिनके एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा बरण की आराजी नं. 1039 रकबा 0–01 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

परन्तु तहसील कार्यालय बनेडा से हल्का पटवारी बबराणा की मार्फत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है जो निम्न है –

1. ग्राम बरण की आराजी नं. 1028 , 1029 किता 02 रकबा 1–12 बीघा भूमि खातेदार शंकरलाल पिता चतुभुर्ज रेबारी के नाम दर्ज रेकार्ड है ।

2. आ.न. 1028 , 1029 मे आने जाने बाबत् लघुत्तम रास्ता आ.न. 1041 , 1039 , 1030 रकबा 3.14 के मध्य से होकर है जिसकी कुल लम्बाई 52 गठा एंव चौडाई 2 गठा है ।

3. वादी द्वारा आ.न. 1028 , 1029 मे आने जाने बाबत् खातेदारी आ.न. 1041 मे से 02 बिस्वा व आ.न. 1039 मे से 0.01 बिस्वा तथा आ.न. 1030 मे से 02 बिस्वा भूमि रास्ते हेतू काम आयेगी । रास्ते की लम्बाई 52 गठा एंव चौडाई 2 गठा है इस प्रकार रास्ते बाबत् 0.05 बीघा भूमि काम आयेगी ।

4. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर की प्रति संलग्न है ।

मेने पत्रावली का उद्योपान्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 1039 , 974 मे से रास्ता चाहा गया व तहसीलदार रिर्पोट के अनुसार 1039 , 1041 , 1030 मे से रास्ते हेतू प्रस्तावित हुई है जबकि प्रार्थी द्वारा 1039 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा मे से 15 फिट का रास्ता चाहा गया था । परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा बरण की आराजी नं. 1039 रकबा 1–09 बीघा किस्म खादी मे से 0–01 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है । उक्त प्रस्तावित भूमि की डीएलसी 48303/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 0–01 बीघा की 2416/– रूपये बनती है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मौजा बरण की आराजी नं. 1039 रकबा 1–09 बीघा किस्म खादी मे से 0–01 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है । पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त 0–01 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी बरण के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाडा)

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा बरण पटवार मण्डल बरण तहसील बनेडा स्थित 1028 , 1029 मे पहुंचने हेतू ग्राम बरण की आराजी नं. 1039 रकबा 1–09 बीघा किस्म खादी मे से 0–01 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0.01 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)